[2022] 16 एससीआर 16

बरुण कुमार और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य।

(2022 की सिविल अपील संख्या 5812)

अगस्त 25, 2022

[न्यायमूर्तिगण अजय रस्तोगी और सी. टी. रविकुमार]

सेवा कानून - झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-नियुक्तियों की वैधता - बिहार सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और बिहार जूनियर सिविल सेवा (भर्ती) नियम, 1951 के नियम 16 और नियम 17 की व्याख्या - उच्च न्यायालय ने 6वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 उत्तीर्ण करने वाले अपीलार्थियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया - सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में अपीलार्थी - उम्मीदवार - आयोजित किया गयाः नियम 16 के खंड (क) और (ख) को संयुक्त रूप से पढ़ते समय, यह कहता है कि खंड (क) लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए सामान्य और सटीक है, जबकि खंड (ख) उन उम्मीदवारों को संदर्भित करता है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, जो उनके लिए योग्यता अंक तय करने के लिए आयोग के विवेकाधिकार को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रतिबंध के साथ जो 35% से अधिक नहीं होगा। नियम 16 परंतुक उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने के चरण से संबंधित है, लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों को नहीं गिना जाना है और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए किसी विशेष विषय में प्राप्त अंकों को नहीं गिना जाना है और यह नियम 17 पर ध्यान देकर और स्पष्ट किया जा सकता है - प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में विज्ञापन के खंड 12 (क) में कहा गया है कि पंद्रह गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और खंड 12 (ख) के अनुसार मुख्य परीक्षा में 06 पेपर शामिल होंगे, जिनमें से कुल अंक 1050 होंगे और उम्मीदवार के लिए मुख्य परीक्षा के सभी विषयों/पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा-हालांकि, पेपर-I के लिए , योग्यता अंकों के रूप में न्यूनतम 30 अंक निर्धारित

किए गए हैं और सभी 6 पेपर सामान्य हैं और उम्मीदवार को खंड 13 के अनुसार संबंधित श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों के साथ सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा, लेकिन विज्ञापन के तहत प्राप्त कुल अंकों में लिखित परीक्षा के सभी अंक स्पष्ट नहीं हैं। विज्ञापन के खंड 12 और 13 को नियम 16 के साथ पढ़ने से विज्ञापन में अस्पष्टता का संकेत मिलता है - आयोग और उच्च न्यायालय दोनों के अलग-अलग विचार हैं जो समान हैं जब आयोग द्वारा किसी संभावित दृष्टिकोण पर कार्रवाई की गई है और उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं और इस समय तक लगभग 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इस न्यायालय के लिए अब सरकार को यू - टर्न लेने की अनुमति देना अन्यायपूर्ण होगा - इसलिए , उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता था।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित : 1. नियम 16 के खंड (क) और (ख) को संयुक्त रूप से पढ़ने से कहा गया है कि खंड (क) उन उम्मीदवारों के लिए सामान्य और सटीक है जो लिखित परीक्षा में भाग ले रहे हैं जबकि खंड (ख) उन उम्मीदवारों को संदर्भित करता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता अंक तय करने के लिए आयोग के विवेक पर छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध के साथ जो बिहार सिविल में 35% से अधिक नहीं होगा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच)। [कंडिका 37] [33-छ-ज;34-क]

2. इसमें जोड़ा गया परंतुक उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए चरण से संबंधित है, लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की गणना की जानी है न कि अंकों से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए किसी विशेष विषय में प्राप्त किया गया है और इसे नियमों के नियम 17 को ध्यान में रखते हुए और स्पष्ट किया जा सकता है जो लिखित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को समेकित करने के लिए आयोग पर दायित्व डालता है और आयोग उन उम्मीदवारों को जीवित रखने की व्यवस्था करेगा जिन्होंने नियम 16 (क) या 16 (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, जैसा भी मामला हो, और इस स्तर पर आयोग विवेकाधिकार रखता है और अपवादिक परिस्थितियों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य को मौखिक परीक्षा में प्रवेश दे सकता है, भले ही वे सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यूनतम अर्हक अंक अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे हों और यह नियमों की योजना है, नियम 16 के परंतुक को नियम 16 के खंड (क) और (ख) दोनों के लिए पढ़ा जाना चाहिए और इसे केवल खंड (ख)

के संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि आक्षेपित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। [कंडिका 38] [34-क -घ]

3. यदि हम प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में खंड 12 (क) की जांच करते हैं, तो यह संकेत दे सकता है कि रिक्तियों के अनुसार, पंद्रह गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और खंड 12 (ख) के अनुसार, मुख्य परीक्षा में 06 पेपर शामिल होंगे, जिनमें से कुल अंक 1050 होंगे और उम्मीदवार के लिए मुख्य परीक्षा के सभी विषयों / पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। लेकिन प्रश्न पत्र-I के लिए अर्हक अंकों के रूप में न्यूनतम 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और सभी 6 पेपर समान हैं और उम्मीदवार को संबंधित श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों के साथ सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा जैसा कि विज्ञापन के खंड 13 में दर्शाया गया है, लेकिन क्या यह लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक या सभी पेपरों में अलग-अलग प्राप्त योग्यता अंक हैं, यह विज्ञापन की शर्तों के तहत स्पष्ट नहीं है। यह सच है कि इसे दोनों तरह से समझा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर शामिल हैं, कुल अंक 1050 होंगे और उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा। पर पेपर 1 में योग्यता अंक 30% है लेकिन अन्य विषय के पेपर में, यह 40% या संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित हो सकता है और क्या यह होना चाहिए। प्रत्येक पेपर में कुल या अर्हक अंक वास्तव में स्पष्ट नहीं हैं और विज्ञापन की शर्तों में अस्पष्टता है, जिनमें से एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है। इस स्तर पर, हम नियम, 1951 की योजना के नियम 16 की सहायता लेते हैं जो परंतुक के साथ पठित है जो एक अलग संकेत देता है। [कंडिका 40 और 41] [34-च-ज; 35-क-ग]

4. वर्तमान मामले में, आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में विचार किया गया है और माना गया है, उसे बेहतर परिसीमित किया जा सकता है, लेकिन दोनों समान रूप से संभव विचार हैं और दोनों में से किसी को भी खारिज नहीं किया जा सकता है या एकमुश्त नकारा नहीं जा सकता है। दी गई स्थिति में, जब आयोग द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण पर कार्रवाई की गई है और जिसके अनुसार सिफारिशें की गई थीं और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है और इस समय तक लगभग 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इस न्यायालय के लिए यह अन्यायपूर्ण होगा कि वह अब सरकार को आक्षेपित निर्णय के अनुपालन में यू-टर्न लेने की अनुमति दे, और उन उम्मीदवारों को गैर-सूट करें जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से काम कर रहे हैं। [अनुच्छेद 43 और 44] [36-ख-ड]

जॉय गुरिया बनाम झारखंड राज्य और अन्य [डब्ल्यू.पी.(एस) 2018 की संख्या 4188]; एन. सुरेश नाथन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1992) 1 अनुपूरक एससीसी 584: [1991] 2 अनुपूरक एससीआर 423 -

संदर्भित केस लॉ संदर्भ

[1991] 2 अनुपूरक एससीआर 423 कंडिका 42 को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 5812 की सिविल अपील संख्या 2022।

2021 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 201 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.02.2022 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 5813, 5814-5817 और 2022 की 5818, 2022 की स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 1100।

अजीत कुमार सिन्हा, सिद्धार्थ भटनागर, सुश्री वी. मोहना, सीनियर एडवोकेटस, अभिषेक ऋतभ शुक्ला, रुद्राशीष भारद्वाज, मोहम्मद अली, सुश्री प्रचेता कर, आदित्य सिधरा, नदीम अफरोज, तुषार बख्शी, सत्यजीत कुमार, प्रशांत शुक्ला, सुयश श्रीवास्तव, शंकर सिंह, सुश्री श्रेया मिश्रा, सुश्री आइना वालिया, मधुमय मिश्रा, ब्रजेश पांडेय, साकेत जैन, विजय लक्ष्मी, अनिलेंद्र पांडे, अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेट।

कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, अरुणाभ चौधरी, मनोज स्वरूप, सीनियर एडवोकेटस, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री अनुषा नागराजन, सुश्री समतेन डोमा, सौरभ टंडन, रितांश वत्स, साहिल भालैक, तुषार गिरि, अमृतांश वत्स, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, शुभाशीष आर. सोरेन, भक्ति वर्धन सिंह, वैभव कुमार राणा, वात्सल्य विज्ञान, पुनीत जैन, विज्ञान शाह, सुश्री क्रिस्टी जैन, अक्षित गुप्ता, योगित कामत, उमंग मेहता, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सुश्री पल्लवी लंगर, अभिषेक रे, कर्मा दोरजी, डेचेन डब्ल्यू लाचुंगपा, हिमांशु शेखर, पार्थ शेखर, नीलमणि पंत, सुश्री कृति डांग, सुश्री आकांक्षा मेहरा, अमित अग्रवाल, विज्ञान शाह, अक्षित गुप्ता, सुश्री राधिका यादव, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, रजनीश भास्कर, एस. आर. सेतिया, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट्स।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी

सिविल अपील @ एसएलपी (सी) संख्या(एस). 4310 2022

सिविल अपील @ एसएलपी (सी) संख्या(एस). 4443 2022

सिविल अपील @ एसएलपी (सी) संख्या(एस). 5338-5341 2022

सिविल अपील @ एसएलपी (सी) नंबर(एस) 2022 का 5409

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलों के वर्तमान बैच को उन उम्मीदवारों द्वारा पसंद किया गया है जो 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016, प्रतिवादी संख्या 3, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित (जिसे इसके बाद आयोग कहा गया है) और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर नियुक्त किए जाने, परिविक्षा की अवधि पूरी करने और नियमित तैनाती प्राप्त करने के बाद, उनकी नियुक्तियों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 7 वां जून, 2021, जिसकी पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 23 जुलाई, 2006 के निर्णय और आदेश द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं के कहने पर दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करने पर निर्णय दिया था 23 फरवरी, 2022 को।

3. संक्षेप में तथ्य जो पक्षकारों की सहमति से इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, सिविल अपील @ विशेष से देखे गए हैं। 2022 की अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4310 (बरुण कुमार और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य)

4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000, बिहार सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और बिहार जूनियर सिविल सेवा के संदर्भ में(भर्ती) नियम, 1951 (इसके बाद "नियम 1951" के रूप में संदर्भित) झारखंड राज्य द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं 6184 वां तदनुसार, झारखंड राज्य ने नियमावली, 1951 के अनुसार अपनी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की।

5. कि वर्तमान चयन प्रक्रिया से पहले, जो विज्ञापन संख्या 1/2015 के अनुसार आयोग द्वारा शुरू की गई थी, दिनांक 6/2013 के विज्ञापन सं 6/2013 के अनुसरण में आयोग द्वारा दिनांक 7 प्रतिवादियों को गिरफ्तार किया गया 6वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित जुलाई विगत 2013 के विज्ञापन में एक विशिष्ट टिप्पणी थी कि प्रारम्भिक परीक्षा में 100-100 अंकों के दो पेपर होते हैं और मुख्य परीक्षा में विषय के प्रश्न-पत्र होंगे और सामान्य हिंदी में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंकों में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जो उम्मीदवार अनिवार्य सामान्य हिंदी में 30 अंक प्राप्त करने में असफल रहे हैं, लिखित परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और तदनुसार पेपर- I (सामान्य हिंदी) को योग्यता परीक्षा माना जाता था और 6 से पहले वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 अधिसूचित की गई, वी. एस. दुबे, आईएएस (सेवानिवृत्त) और विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा ने परीक्षा के पैटर्न की जांच करने के बाद सिफारिशें कीं[1]।

"65. संक्षेप में, विशेषज्ञ समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं: -

(क) सभी वैकल्पिक पेपर, प्रारंभिक और मुख्य दोनों स्तरों पर सिविल सेवाओं की परीक्षाओं को समाप्त किया जाए और उनके स्थान पर सामान्य, अनिवार्य प्रश्नपत्र लाए जाएं।

(ख) प्रारंभिक परीक्षा केवल दो पेपरों में आयोजित की जानी चाहिए, प्रत्येक 200 अंकों की, जो सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। इन दोनों प्रश्न-पत्रों का व्यापक पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा (सीएसएटी) के समान हो सकता है, जिसमें इसमें मामूली संशोधन किए जा सकते हैं के आसपास स्थानीय हितों को समायोजित करें। इन दो पेपरों को कहा जा सकता है: (i) सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट (सीएसएटी) पेपर i, और (ii) सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (सीएसएटी) पेपर iii इन दो पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने चाहिए, जिसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर, लिखित (मुख्य) परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों के लगभग दस गुना होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स तय किए जाएं तदनुसार आयोग द्वारा।

(ग). मुख्य परीक्षा अधिकतम 1000 अंकों के लिए आयोजित की जानी चाहिए, छह पेपरों में विभाजित, सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। छह पेपरों में से, दो भाषा समूह से तैयार

किए जाने चाहिए और शेष चार विषय के पेपर होने चाहिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार: -

(i) पेपर 1 100 अंकों के मैट्रिक मानक के सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का एक समग्र पेपर होना चाहिए। इस पेपर में दो होने चाहिए अलग-अलग खंड, एक हिंदी पर और दूसरा अंग्रेजी पर, प्रत्येक समान वेटेज या 50 अंकों का।

(ii) पेपर 2 स्नातक मानक के 100 अंकों की भाषा और साहित्य पर एक पेपर होना चाहिए। यह पेपर निम्नलिखित 15 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग सेट किया जाएगा, अर्थात् (i) हिंदी, (ii) उर्दू, (iii) बंगाली, (iv) उड़िया, (v) अंग्रेजी, (vi) संस्कृत, (vii) संथाली, (viii) मुंडारी, (ix) खड़िया, (x) हो, (xi) कुरुक, (xii) नागपुरिया, (xiii) कुरुमाली, (xiv) खोरटा, और (xv) पंच परगनिया, जिसमें से प्रत्येक उम्मीदवार को एक का विकल्प चुनना होगा।

(iii) पेपर 3 200 अंकों का सामाजिक विज्ञान पर एक पेपर होना चाहिए, जिसमें दो अलग-अलग खंड शामिल हैं, प्रत्येक समान वेटेज का, एक इतिहास पर और दूसरा भूगोल पर।

(iv) पेपर 4 भारतीय संविधान और राजनीति, लोक प्रशासन और सुशासन पर एक पेपर होना चाहिए।

(घ) मुख्य परीक्षा के सभी छह अनिवार्य पेपरों में प्राप्त अंकों की गणना की जानी चाहिए और श्रेणी-सूची तैयार करने के लिए उन्हें एक साथ मिला दिया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की श्रेणीकरण सूची में उनकी स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाना चाहिए। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली रिक्तियों का लगभग दो से तीन गुना हो सकती है कट-ऑफ अंक।

6. दुबे समिति की रिपोर्ट पर आयोग द्वारा पहली बार में विचार किया गया था और प्रतिवादी नंबर 1 को स्वीकृति के लिए सिफारिश की गई थी, अन्य बातों के साथ, शर्तों के साथ[2]

व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा तदनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ङ) व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए निर्धारित अंक लिखित (मुख्य) परीक्षा के कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। इस प्रकार, यह 100 अंकों का काम करेगा, जो आयोग की राय में, परीक्षा के इस खंड के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह याद रखना चाहिए कि पक्षपात और मनमानेपन की अधिकतम शिकायतें परीक्षा के इस खंड में ही प्राप्त होती हैं। इसलिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आवंटित अंकों पर एक सीमा रखना आवश्यक है।

(च) औपचारिक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संस्थागत-सह-क्षेत्र प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षु-अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनकी अंतिम पारस्परिक सेवा वरिष्ठता निर्धारित की जा सके। इस उद्देश्य के लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित रखे जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में संस्थागत परीक्षा अभिनिर्धारित की जानी है, उनका विवरण संबंधित मूल विभागों पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे परामर्श से काम कर सकें अपने प्रशिक्षण संस्थानों और झारखंड लोक सेवा आयोग के साथ।

(1) मुख्य परीक्षा का 100 अंकों का भाषा पेपर केवल अर्हक प्रकृति का होना चाहिए जिसमें एक उम्मीदवार संयुक्त हिंदी और अंग्रेजी (10) में से न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करेगा। वां 10वीं कक्षा के 100 अंकों का मानक पेपर)।

(2) संशोधित परीक्षा पैटर्न पाठ्यक्रम छठा संयुक्त सिविल सेवा से प्रभावी होगा परीक्षा केवल इसलिए कि उम्मीदवार 15 महीने में क्लियर हो जाएंगे सशोधित पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करना। अगली 5 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मौजूदा (मुख्य) पाठ्यक्रम पर होगी।

(3) संशोधित पाठ्यक्रम की अधिसूचना जारी करने से पहले झारखंड लोक सेवा आयोग 9 क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, बंगला और विशेषज्ञ द्वारा अंतिम रूप से अंग्रेजी भाषा और साहित्य के पाठ्यक्रम को प्राप्त करेगा। समिति की अंतिम बैठक जिसमें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट थी।

इस प्रकार समिति ने इस दिन अर्थात 2 अप्रैल,2013 झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को वी.एस. दुबे विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों के साथ यथाशीघ्र स्वीकृति के लिए अग्रेसितकरने के लिए अप्रैल, 2013 से एक नया निर्देश जारी

किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधित पैटर्न को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जा सके। 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2014 में आयोजित की जाएगी जिसमें उम्मीदवारों को संशोधित पैटर्न के आधार पर तैयारी के लिए कम से कम 15 महीने का समय दिया जाएगा।

“12 परीक्षा का गठन: चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा (लिखित और साक्षात्कार) अभिनिर्धारित की जाएगी।

(क) प्रारंभिक परीक्षा: श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के 15 गुना उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर शामिल होंगे जिनमें कुल अंक 200-200 (कुल चार सौ) होंगे। उनके अंक प्राप्त हुए।

7. प्रतिवादी नंबर 1 ने कार्यप्रणाली और पाठ्यक्रम को मंजूरी दी दुबे समिति की सलाह के अनुसार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा - मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों पेपरों की परीक्षा ओ.एम.आर. आधारित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में ओ.एम.आर. को ठीक से भरना आवश्यक होगा अन्यथा, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों/पेपरों में उम्मीदवारों को शामिल करना अनिवार्य होगा।

संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2016 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

प्रारंभिक परीक्षा में दो अनिवार्य पेपर होंगे, जिनमें से प्रत्येक 200 अंकों का होगा,

(i) सामान्य अध्ययन पेपर - I

(ii) सामान्य अध्ययन पेपर - II

दोनों प्रश्न पत्र बहुविकल्पी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेट किए जाएंगे। हालांकि, भाषा और व्याकरण के व्यापक कौशल और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए निर्धारित प्रश्न केवल संबंधित भाषा में होंगे, बिना हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद प्रदान किए।

(क) मुख्य परीक्षा: रिक्तियों के अनुसार तीन बार उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 06 पेपर, जिनमें से

कुल अंक 1050 होंगे। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के सभी विषयों/पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । मुख्य परीक्षा का कोर्से इस प्रकार है:-

मुख्य परीक्षा

[कोई वैकल्पिक विषय नहीं। सभी सामान्य अनिवार्य पेपर हैं)

विषय	अवधि	पूर्ण अंक	टिप्पणियां
पेपर-I: सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जिसमें (i) सामान्य हिंदी और (ii) सामान्य अंग्रेजी पर दो अलग-अलग खंड हैं, प्रत्येक 50 अंकों का	3 घंटे	100	वर्णनात्मक प्रकार यह पेपर अर्हता प्राप्त करता है जिसमें न्यूनतम 30 अंक अनिवार्य हैं
पेपर-II: भाषा और साहित्य इस पेपर के तहत, प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग द्वारा सूचीबद्ध पंद्रह में से एक भाषा और साहित्य का चयन करना होगा	3 घंटे	150	वर्णनात्मक प्रकार
पेपर-III: सामाजिक	3 घंटे	200	वर्णनात्मक प्रकार

विज्ञान, जिसमें (i) इतिहास (ii) भूगोल के दो अलग-अलग खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक को समान महत्व दिया गया है।			
पेपर-IV: भारतीय संविधान और नीति, लोक प्रशासन और सुशासन	3 घंटे	200	वर्णनात्मक प्रकार
पेपर-V: भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास	3 घंटे	200	वर्णनात्मक प्रकार
पेपर-VI: सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास।	3 घंटे	200	वर्णनात्मक प्रकार

ये पेपर सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य हैं।

(ग) XXXX

"13. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के न्यूनतम योग्यता अंक: -

सामान्य	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग - 1	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग - II	36.5 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला वर्ग	32 प्रतिशत

आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ और इसे लागू किया गया 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा दिनांक 25 वां सितंबर, 2013 को। हालांकि, बाद में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी द्वारा अभिनिर्धारित की जा रही संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और पद्धति में और संशोधन किया के उत्तर को देखते हुए अधिसूचना सं 3 (आयोग) दिनांक 21 अप्रैल 2016 को।

8. तदनुसार, आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2016 प्रकाशित किया जिसमें 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 दिनांक 6 वां अक्टूबर, 2016। विज्ञापन के खंड 12 और 13 जो हैं विवाद का कारण, जिसके साथ हम अपील के वर्तमान बैच में चिंतित हैं, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं:

9. विज्ञापन के अनुसार छठा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में अपीलकर्ताओं और निजी उत्तरदाताओं सहित सभी आवेदक प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम दृष्टया उपस्थित हुए और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 23 फरवरी 2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसे 2 मार्च, 2017 को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए रिक्तियों की संख्या के 15 गुना उम्मीदवारों को घोषित करके। 13 वां अप्रैल 2017 में, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आगे घोषित किया गया था और उसके बाद एक श्रृंखला थी। आयोग द्वारा घोषित प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न या परिणाम पर सवाल उठाते हुए मुकदमेबाजी और प्रारंभिक परीक्षा के मुद्दों में से एक ने इस न्यायालय की यात्रा की, जिसे इस न्यायालय द्वारा 2018 की सिविल अपील संख्या 9217 में दिनांक 10 के आदेश द्वारा तय किया गया था। 10 वां सितंबर, 2018।

.....

उपरोक्त के रूप में निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक सभी सेवाओं/संवर्गों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (उद्देश्य/विषय) पर समान रूप से लागू होंगे। सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा के पेपर-I में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।(सामान्य हिन्दी और सामान्य इंग्लिश)।

नोटः कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या. 8315 दिनांक 16.09.2015 के आलोक में, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

“आदेश

अनुमति दी गई

वर्तमान अपील में विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि प्रारंभिक अपील में प्रश्नों को दिए गए कुछ उत्तरों को गलत माना गया था।

उम्मीदवारों द्वारा ली गई परीक्षा, जिसमें दो सामान्य पेपर शामिल थे।

विज्ञापन में बताए गए न्यूनतम अंक, अनारक्षित श्रेणी के लिए पात्र होने के लिए 40 प्रतिशत बताए गए थे, एक बार प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद, मुख्य परीक्षा के साथ आगे बढ़ने के लिए।

अक्टूबर, 2016 के विज्ञापन को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि उस परीक्षा में दो अलग-अलग पेपरों के अंकों के विपरीत प्रारंभिक परीक्षा के अंक 40 प्रतिशत हैं, इसलिए हमारी राय है कि इस उम्मीदवार को बताया गया था कि जहां तक दोनों पेपरों का संबंध है, उसे कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक हासिल करना होगा।

हमें राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विज्ञापन में कथित अस्पष्टता को देखते हुए, एक समिति ने इस पर गौर किया है और तब से राय दी है कि "प्रारंभिक परीक्षा" का मतलब यह है कि प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाने चाहिए।

हमारा विचार है कि विज्ञापन में अस्पष्टता, यदि कोई हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में होनी चाहिए जो विज्ञापन के अनुसार चलता है जो की मूल रूप से था।

चूंकि यह स्पष्ट है कि उत्तरों की शुद्धता को देखे बिना, जहां तक छह प्रश्नों का संबंध है, कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में दोनों पत्रों में 40 प्रतिशत प्राप्त किया है, इसलिए अपीलार्थी को मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

अपील का निपटन तदनुसार किया जाता है।

चूँकि केवल अपीलार्थी ही हमारे सामने है, हम यह स्पष्ट करते हैं कि आदेश में कही गई किसी भी बात को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा।

10. इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने का इरादा रखने वाले उम्मीदवारों को बताए गए विज्ञापन की शर्तों में एक अस्पष्टता प्रतीत होती है और परीक्षा में दो अलग-अलग पेपरों के विपरीत प्रारंभिक परीक्षा में 40% अंकों की शर्त, इस न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त की कि उम्मीदवार को कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने होंगे, जहां तक दो पेपरों का संबंध है। हालांकि बाद में यह संकेत दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा जो व्यक्त किया जा रहा है उसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

11. जहां तक प्रारम्भिक परीक्षा का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई बातों को भी इस मुद्दे पर अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया था, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रारम्भिक परीक्षा की चयन प्रक्रिया की योजना पर पुनर्विचार किया। जॉय गुरिया बनाम झारखंड राज्य और अन्य [2018 की डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4188] अपने निर्णय दिनांक 20 दिसंबर, 2018 में कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में, उम्मीदवार को दोनों पेपरों में योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे और सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने के बाद, मुख्य लिखित परीक्षा 28 जनवरी, 2019 से 1 फरवरी, 2019 तक आयोजित किया गया था और मुख्य परीक्षा का परिणाम 15 फरवरी,2020 को घोषित की गई थी और लिखित परीक्षा में सभी सफल उम्मीदवार जो विचार के क्षेत्र में आते थे, उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था और जिन उम्मीदवारों ने सभी चरणों को उत्तीर्ण और सफलतापूर्वक पास किया था, आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची 21 को प्रकाशित की गई थी 29 अप्रैल, 2020 और सिफारिशों के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

12. बाद में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कई रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें 21 अप्रैल, 2020 के 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 और चूंकि रिट याचिकाओं के बैच में विवादास्पद मुद्दे उठाए गए हैं, जैसा कि आरोप लगाया गया है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुद्दों को चार समूहों में विभाजित कर दिया।

13. जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं का संबंध है, वे चौथे समूह से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने नियम 1951 की स्कीम के नियम 16 के साथ पठित विज्ञापन के खंड 12 और 13 की व्याख्या करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां तक मुख्य परीक्षा का सवाल है, सामान्य हिंदी/सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र-I था, वह अर्हक पेपर था जिसके लिए उम्मीदवार को 30 अंक प्राप्त करने होते हैं और उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन शेष 5 पेपरों के आधार पर किया जाना होता है जिसमें उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होते हैं और चूंकि इस प्रक्रिया का उत्तरदाताओं द्वारा पालन नहीं किया गया है, तदनुसार, दिनांक 7 वां जून, 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय में आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया है कि लिखित परीक्षा (5 पेपर) और वाइवा-वॉयस में प्राप्त अंकों के संदर्भ में पेपर-I के अंकों को जोड़े बिना एक नई मेरिट सूची तैयार की जाए और उसके बाद अंतिम चयन सूची कानून के अनुसार तैयार की जा सकती है।

14. यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि एल.पी.ए. के लंबित रहने की प्रक्रिया के दौरान, डिवीज़न बेंच द्वारा दिनांक 10 अगस्त , 2021 के आदेश द्वारा अंतरिम आवेदनों का निपटान किया गया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे और यह आगे दर्ज किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने यह वचन दिया है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय इस आधार पर पारित किया जाता है कि अपील लंबित रही और उस अवधि के दौरान वे रोजगार में रहे, तो वे इक्विटी की वकालत नहीं करेंगे।

15. उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विचार के लिए तैयार किए गए और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गए मुद्दे:

“मुद्दा संख्या 1

क्या पेपर- I में प्राप्त अंकों को कुल अंकों में जोड़ा जाना था?

मुद्दा संख्या . 1 का उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार दिया गया है;-

कि पेपर- I (मुख्य परीक्षा) में प्राप्त अंकों को एक या दूसरे उम्मीदवार की उम्मीदवारी की घोषणा के लिए मेरिट सूची तैयार करते समय कुल अंकों में नहीं जोड़ा जाना था।

मुद्दा संख्या 2

क्या जेपीएससी द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची सभी विषयों के 'कुल योग्यता अंक' या 'न्यूनतम योग्यता' प्रत्येक विषय में अंक सही माना जाता है?

मुद्दा संख्या 3

क्या जेपीएससी और राज्य द्वारा न्यायालय के समक्ष जो रुख अपनाया गया है, उसके आधार पर जॉय गुरिया (ऊपर) या 6वां जेपीएससी द्वारा अभिनिर्धारित संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवार की मेरिट सूची तैयार करते समय लिया गया विपरीत दृष्टिकोण वां जेपीएससी द्वारा अभिनिर्धारित संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा को सही माना जाता है?

मुद्दा संख्या 2 और 3 के उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार दिए गए हैं: -

(ii) प्रत्येक विषय (मुख्य परीक्षा) में 'न्यूनतम योग्यता अंक' सही व्याख्या है; और

(iii) जे.पी.एस.सी. और राज्य द्वारा न्यायालय के समक्ष जो रुख अपनाया गया है, जिसके आधार पर 2006 में आदेश पारित किया गया है। जॉय गुरिया (ऊपर) सही दृष्टिकोण है।

16. उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ ने निर्णय दिया कि लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र-I में प्राप्त अंकों को कुल अंकों में नहीं जोड़ा जाना चाहिए और विज्ञापन के खण्ड 13 के अनुसार अभ्यथयों को प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र (5 पेपर) में अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो खण्ड न्यायपीठ के अनुसार दिनांक 23 फरवरी 2022, जो हमारे सामने अपील में चुनौती का विषय है।

17. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि नियम, 1951 के नियम 16 में कोई अस्पष्टता या बाद में कोई संशोधन नहीं है और जहां तक नियम 16 के साथ संलग्न परंतुक का संबंध है, इसे नियम 16 के खंड (क) और (ख) के साथ पढ़ा जाना

चाहिए। खंड (क) आयोग को लिखित परीक्षा में किसी भी या सभी विषयों में योग्यता अंक तय करने का विवेक देता है। इसके साथ ही, खंड (ख) में अर्हक अंकों का प्रावधान है जो आयोग द्वारा अपने विवेक से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए तय किए जा सकते हैं लेकिन अधिक नहीं होंगे। बिहार सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के लिए 35% से अधिक। यदि खंड (क) और (ख) को संयोजन में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि खंड क प्रकृति में सामान्य है और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार के संदर्भ में किसी भी या सभी विषयों में योग्यता अंक तय करने के लिए आयोग के विवेक पर जोर देता है। हालांकि, खंड (ख) बाहर निकलता है एक अपवाद और केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए जोर देता है। जहां तक नियम 16 में जोड़े गए परंतुक का संबंध है, यह अभिधारणा है कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय सीमा पार करने के बाद ही उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों पर विचार किया जाएगा।

18. इसके अलावा, नियम 17 का परंतुक स्पष्ट रूप से सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम 16 (क) और (ख) के तहत आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं करने के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मानदंडों में ढील देने का अधिकार देता है। इस प्रकार, खण्ड न्यायपीठ द्वारा नियम 16 केवल खंड (ख) तक सीमित है और खंड (क) और खंड (ख) नियम 1951 के नियम 16 का पूरी तरह से गलत अर्थ है।

19. जहां तक लिखित परीक्षा में योग्यता पत्र I और अन्य 5 विषय पत्रों के आधार पर योग्यता के निर्धारण का संबंध है, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विज्ञापन के खंड 12 ख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंकों की कुल संख्या 1050 होगी और उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा के सभी विषयों/पत्रों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यद्यपि प्रश्न पत्र-I में टिप्पणियां-कॉलम इंगित करता है कि यह एक अर्हक पेपर है जिसमें न्यूनतम 30 अंक अनिवार्य हैं और शेष विषय के पेपर में, किसी को 40% अंक सुरक्षित करने होंगे, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए इसे व्यक्तिगत पेपर या लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में होना चाहिए या नहीं।

20. इस प्रकार, दी गई परिस्थितियों में, साक्षात्कार के लिए बुलाई जाने वाली लिखित परीक्षा में योग्यता का निर्धारण करने के लिए उम्मीदवार द्वारा 1050 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करने में आयोग द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जा

रहा है, वह एक उचित व्याख्या है जो आमतौर पर उच्च न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे में हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं था।

21. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विचार-विमर्श के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या भी विज्ञापन के खंड 12 और 13 के संदर्भ में प्रशंसनीय व्याख्याओं में से एक हो सकती है, लेकिन लिखित परीक्षा की मेरिट सूची तैयार करते समय आयोग द्वारा क्या व्याख्या की जा रही है, इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में, चयन प्रक्रिया जो एक बार अंतिम रूप प्राप्त कर चुकी है और अपीलकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सिफारिशों को अनुमोदित किए जाने के बाद नियुक्त किया गया है और परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है, केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जहां इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, वे इस समय तक लगभग दो साल से काम कर रहे हैं, इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है और प्रस्तुत करता है कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून में टिकाऊ नहीं है।

22. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करता है कि यदि उत्तरदाताओं ने पहले आयोजित मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने के अतीत में लगातार अभ्यास का पालन किया है और इसे विज्ञापन के खंड 12 और 13 से यथोचित रूप से समझा जा सकता है और नियमों की योजना के नियम 16 में कोई संशोधन नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1951 में 1951 में एक निर्णय लिया था और ऐसा होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रथा को रद्द करने में यह एक स्पष्ट त्रुटि थी जिसका आयोग द्वारा पर्याप्त रूप से लंबे समय से लगातार पालन किया जा रहा था, दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा अपनाई गई पिछली प्रथा को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं था।

23. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए चयन की प्रक्रिया को विज्ञापन के खंड 12 और 13 के संदर्भ में विनियमित किया जाना है और यह केवल उम्मीदवारों द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले योग्यता अंकों को संदर्भित करता है, और यदि खंड 12 और 13 को संयोजन में पढ़ा जाना है, एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष

और आगे आने वाली व्याख्या यह होगी कि लिखित परीक्षा का पेपर I हालांकि परीक्षा की योजना का एक हिस्सा है, लेकिन किसी को अर्हता प्राप्त करने के लिए केवल 30% अंक सुरक्षित करने होंगे और मेरिट सूची शेष विषय पत्रों (5 पेपर) की लिखित परीक्षा के आधार पर निर्धारित की जानी है जिसमें उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में योग्यता अंक सुरक्षित करना होगा और यह प्रकट होना है त्रुटि जो आयोग ने मेरिट सूची तैयार करने में प्रतिबद्ध किया है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में ठीक कर दिया गया है और प्रतिवादी समान रूप से योग्य हैं और उन्हें योग्यता क्रम में रखा गया होगा बशर्ते कि आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची को नियम 1951 के नियम 16 के साथ पठित सी विज्ञापन के खंड 12 और 13 के अनुरूप प्रकाशित किया होता।

24. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरदाताओं की ओर से उनकी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में कोई देरी नहीं हुई है और कम से कम किसी भी तरह से उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक बार उनके अधिकार को अंतरिम आदेश द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है जिसके लिए संदर्भ दिया गया है, कम से कम डिबनामजन बेंच के आदेश के संदर्भ में लिखित परीक्षा की मेरिट सूची को संशोधित करने में निष्पक्ष विचार के उनके अधिकार में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

25. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक नियम, 1951 की योजना के नियम 16 का संबंध है, यदि विराम चिह्न देखा जाता है नियम 16 क के बाद, विधायिका ने अपने विवेक से थोड़ा पूर्ण विराम लगा दिया है (.) और खंड ख के बाद, कोलन (:) है, और उसके बाद, परंतुक जोड़ा गया है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि परंतुक केवल खंड ख से संबंधित है नियम 16 और यह नियमों के नियम 16 की योजना की एकमात्र अप्रतिरोध्य व्याख्या है, 1951 जिसकी पुष्टि की गई है आक्षेपित निर्णय में विस्तृत चर्चा के बाद उच्च न्यायालय ने बाध्यता जताई विज्ञापन की शर्तों के संदर्भ में मुख्य लिखित परीक्षा की मेरिट सूची प्रकाशित करने में आगे की कार्रवाई करने के अधिकार को इस न्यायालय के आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

26. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

27. इससे पहले कि हम तत्काल अपीलों में उठाए गए प्रश्नों की जांच करें, आइए हम नियम 1951 की योजना पर एक विहंगम नज़र डालें। इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नियम 1951 के नियम 15, 16 और 17 को यहां पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

"15. परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित की जाएगी जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आयोग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं।

16. (क) आयोग को लिखित परीक्षा में किसी एक या सभी विषयों में अर्हक अंक निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक बिहार सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के लिए 35% से अधिक नहीं होगा, और बिहार जूनियर सिविल सेवा के लिए 30% से अधिक नहीं होगा, जब तक कि अन्य उम्मीदवारों के लिए लागू मानकों के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक उम्मीदवारों की संख्या से काफी अधिक न हो और अनुसूचित जनजाति बशर्ते कि नियुक्ति के लिए किसी विशेष उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्धारण करते समय, लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों पर विचार किया जाएगा, न कि किसी विशेष विषय में प्राप्त अंकों पर।

(ग) वाइवा वॉयस टेस्ट के लिए कोई योग्यता अंक नहीं होगा।

17. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, आयोग नियम 16 (क) या (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा की व्यवस्था करेगा:

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों में और सरकार के पूर्व अनुमोदन से आयोग अपने विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यथयों को मौखिक परीक्षा में प्रवेश दे सकेगा, भले ही उन्होंने नियम 16 के खंड (क)"

28. संदर्भित तथ्यों के पूरा होने के लिए जिन निर्विवाद तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है, वे स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को आयोग द्वारा 6 वां (ख) झारखंड राज्य के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के 326 पदों को भरने के लिए अक्टूबर, 2016 से बिहार सिविल सेवा (कार्यपालक शाखा) एवं नियमावली, 1951 के अनुसार

भर्ती की जानी है, जिसे झारखंड राज्य द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2016 की अधिसूचना द्वारा अपनाया गया था। 9 नवंबर 2002.

29. 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई, इससे पहले काफी चर्चा हुई और आयोग द्वारा कुछ संशोधनों के साथ दुबे समिति की रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद, अंततः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25/09/2013 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से अनुमोदित किया गया, चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद और उसके बाद की गई सिफारिशों के साथ आयोग की नियुक्तियां दिनांक 29 वां जुलाई, 2020 और फील्ड प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्हें उनके संबंधित तैनाती के स्थानों पर तैनात किया गया है।

30. यह नोट करना उचित होगा कि झारखंड राज्य ने अब संविधान के अनुच्छेद 309, अर्थात् झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2021 (इसके बाद "नियम 2021" के रूप में संदर्भित) के परंतुक और नियमों की योजना के अन्य प्रावधानों के अलावा, नियम 17 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अर्हता/कुल अंक निर्धारित करने के मानदंड निर्धारित करता है। साक्षात्कार के उद्देश्य से मेरिट सूची तैयार करने के लिए मुख्य परीक्षा और नियम 2021 को आगे बढ़ाते हुए, प्रतिवादी नंबर 3 होल्डिंग 7 द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू की गई है 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 8 वां फरवरी 2021.

31. इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, वह 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा अकेले क्योंकि भविष्य के सभी चयन नियम 2021 की योजना के तहत झारखंड राज्य द्वारा अभिनिर्धारित किए जाएंगे।

32. यदि हम परीक्षा पैटर्न के तत्व को देखें, तो चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पहले प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा जैसा कि खंड 12 (क) में निर्दिष्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा को अंतिम रूप देने से पहले मुकदमों की श्रृंखला थी और परिणाम, पहली बार में, 23 फ़रवरी 2017 को प्रकाशित किया गया था जिसे 13 अप्रैल , 2017 को संशोधित किया गया और उसके बाद, मुकदमेबाजी के कारण, इसे 11 अगस्त , 2017 को फिर से संशोधित किया गया था और अंत में, प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा संशोधित परिणाम 6 अगस्त, 2018 को प्रकाशित किया गया था मुख्या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए 34,634 उम्मीदवारों को सफल घोषित करके।

33. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से संतुष्ट नहीं होने वाले उम्मीदवारों में से एक इस न्यायालय में 2018 की सिविल अपील संख्या 9217 और इस न्यायालय के आदेश दिनांक दिनांक 10 सितम्बर 2018 के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 2018 के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18 नवम्बर, 2018 के आदेश में इसका निपटारा करते हुए कहा कि विज्ञापन की शर्तों में अस्पष्टता है और न्यूनतम अर्हक अंक कुल अंकों के लिए हैं न कि प्रत्येक विषय के लिए।

34. इस स्तर पर इस मामले में विराम नहीं लगा था। उच्च न्यायालय, के मामले में जॉय गुरिया और अन्य (ऊपर), प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम की पुनः जांच की गई और 2Oवां दिसम्बर, को उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिन व्यक्तियों ने प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हैं क्योंकि विज्ञापन का खंड 13 प्रत्येक विषय पर अलग से लागू होता है।

35. लंबी लड़ाई के बाद, आयोग आगे बढ़ा और 28 वां जनवरी, 2019 और 1 फरवरी, 2019 की अवधि के दौरान मुख्य परीक्षा आयोजित की और परिणाम अंततः 15 फरवरी, 2020 को घोषित किया गया और आयोग द्वारा राज्य सरकार को सिफारिशें की गई थीं नियुक्तियों के आवंटन की दिनांक 29/06/2020 को और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात 29 वां जुलाई 2020 को नियुक्तियां कर दिन गयीं, इस स्तर पर, सभी उम्मीदवारों ने अपना पूरा प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और उन्हें उनकी संबंधित पोस्टिंग दी गई थी।

36. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और प्रतिप्रस्तुतियों की जांच की है।

37. जहां तक नियम, 1951 के नियम 16 का संबंध है, यह सच है कि यदि हम प्रतिवादियों के वकील द्वारा उजागर किए गए विराम चिह्नों को देखें, तो यह निश्चित रूप से खंड (क) और खंड (ख) के बीच अंतर करता है, लेकिन उचित व्याख्या के लिए और नियमों की योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए, कभी-कभी विराम चिह्न एक अलग प्रभाव दे सकते हैं और योजना की व्याख्या के लिए इसे अलग से नहीं लिया जा सकता है नियमों की। यदि हम नियम 16 के खंड (क) और (ख) को संयुक्त रूप से पढ़ते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि खंड (क) उन उम्मीदवारों के लिए सामान्य और सटीक है जो लिखित परीक्षा में भाग ले रहे हैं, जबकि खंड (ख) उन उम्मीदवारों को संदर्भित करता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को संदर्भित करते हैं जो अनुसूचित

जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए योग्यता अंक तय करने के लिए आयोग के विवेक को छोड़ देते हैं लेकिन प्रतिबंध जो बिहार सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में 35% से अधिक नहीं होगा।

38. इसमें जोड़ा गया परंतुक उम्मीदवार की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए चरण से संबंधित है, लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की गणना की जानी चाहिए न कि किसी विशेष में प्राप्त अंकों की आयोग लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को समेकित करने की बाध्यता रखता है और यह नियम 16 (क) अथवा 16 (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यथयों को मौखिक परीक्षा देने की व्यवस्था करेगा। जैसा कि मामला है हो सकता है, और इस स्तर पर आयोग एक विवेक रखता है और असाधारण परिस्थितियों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य को मौखिक परीक्षा में प्रवेश दे सकता है, भले ही वे सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यूनतम अर्हक अंक अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे हों और यह नियमों की योजना है, नियम 16 का परंतुक नियम 16 के खंड (क) और (ख) दोनों के लिए पढ़ा जाना चाहिए और इसे केवल खंड (ख) के संदर्भ में नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि आक्षेपित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

39. जहां तक उन दो प्रश्नों का संबंध है जिनका उत्तर क्या प्रश्न पत्र-I में प्राप्त अंकों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि नियम 1951 के नियम 16 के साथ पठित विज्ञापन के खंड 12 और 13 की जांच करने के पश्चात् विशेष रूप से लिखित परीक्षा के कुल अंकों में कुल अंकों में जोड़ा जाए या लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के पेपर में न्यूनतम अर्हक अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाए या नहीं, हमारा विचार है कि विज्ञापन में निश्चित रूप से अस्पष्टता है।

40. यदि हम प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में खंड 12 (क) की जांच करते हैं, तो यह संकेत दे सकता है कि रिक्तियों के अनुसार, पंद्रह गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और खंड 12 (ख) के अनुसार, मुख्य परीक्षा में 06 पेपर शामिल होंगे, जिनमें से कुल अंक 1050 होंगे और उम्मीदवार के लिए मुख्य परीक्षा के सभी विषयों / पेपरों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। लेकिन प्रश्न पत्र-I के लिए, अर्हक अंकों के रूप में न्यूनतम 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और सभी 6 पेपर सामान्य हैं और उम्मीदवार को संबंधित श्रेणी के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों के साथ सभी पेपरों में उपस्थित होना है, जैसा

कि विज्ञापन के खंड 13 में दर्शाया गया है, लेकिन क्या यह लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक या सभी पेपरों में अलग-अलग प्राप्त अर्हक अंक हैं, यह विज्ञापन की शर्तों के तहत स्पष्ट नहीं है।

41. यह सच है कि इसे दोनों तरह से समझा जा सकता है। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर शामिल हैं, कुल अंक 1050 होंगे और उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा। यह एक तथ्य हो सकता है कि प्रश्न पत्र-I में अर्हक अंक 30% हैं लेकिन अन्य विषय के प्रश्न-पत्रों में यह 40% या संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित हो सकता है और क्या प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कुल या अर्हक अंक होने चाहिए, यह वास्तव में स्पष्ट नहीं है और विज्ञापन की शर्तों में अस्पष्टता है, जिसका विस्तृत संदर्भ दिया गया है। इस स्तर पर, हम नियम, 1951 की योजना के नियम 16 की सहायता लेते हैं जो परंतुक के साथ पठित है जो एक अलग संकेत देता है।

42. इस न्यायालय में एन. सुरेश नाथन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[4] लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंताओं के लिए भर्ती नियमों की जांच करते समय और विभाग द्वारा पर्याप्त रूप से लंबे समय से अपनाई गई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह पाया गया कि नियमों की योजना का निर्माण जो संबंधित विभाग में लंबे समय से चली आ रही प्रथा के अनुरूप है, इसे परेशान करने की आवश्यकता नहीं है और यदि पिछला अभ्यास संभावित निर्माणों में से एक पर आधारित है जिसे बनाया जा सकता है नियमों को उलटना उचित नहीं हो सकता है और कंडिका 4 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

"4. हमारी राय में, इस अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रतिवादी डिप्लोमा धारकों के प्रवेश सहित पर्याप्त सामग्री है कि विभाग में लंबे समय से अपनाई जा रही प्रथा यह थी कि डिप्लोमा-धारक कनिष्ठ अभियंताओं के मामले में, जिन्होंने सेवा के दौरान डिग्री प्राप्त की थी, डिग्री धारकों के रूप में पदोन्नति के लिए पात्रता के लिए ग्रेड में तीन साल की सेवा की अवधि डिग्री प्राप्त करने की तारीख से शुरू हुई थी और डिप्लोमा-धारकों के रूप में सेवा की पूर्व अवधि को इस उद्देश्य के लिए नहीं गिना गया था। इस पूर्व प्रथा को प्रतिवादी डिप्लोमाधारकों द्वारा पेपर बुक के पृष्ठ 115 पर ट्रिब्यूनल को किए गए अपने आवेदन के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। यह संघ लोक सेवा आयोग के 6 दिसंबर, 1968 के पत्र में निहित विचार भी प्रतीत होता है, जिसे प्रतिवादी 1 से 3 के प्रति-

हलफनामे में पेपर बुक के पृष्ठ 99-100 पर निकाला गया था। असली सवाल, इसलिए, क्या इस प्रावधान का निर्माण किया गया है। एक जिन नियमों पर लंबी अवधि तक फैली पिछली प्रथा आधारित है, उन्हें परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पिछला अभ्यास संभावित निर्माणों में से एक पर आधारित है जिसे नियमों से बनाया जा सकता है तो अब इसे परेशान करना उचित नहीं होगा। इस परिप्रेक्ष्य में उठाए गए प्रश्न का निर्धारण किया जाना है।

(जोर दिया गया)

43. वर्तमान मामले में, आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में विचार किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है, उसे बेहतर परिसीमित किया जा सकता है लेकिन दोनों समान रूप से हैं। संभावित विचारों और दोनों में से किसी एक को खारिज नहीं किया जा सकता है या एकमुश्त नकारा नहीं जा सकता है।

44. दी गई स्थिति में, जब आयोग द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण पर कार्रवाई की गई है और जिसके अनुसरण में सिफारिशें की गई थीं और राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, उम्मीदवारों के पास इस न्यायालय के लिए यह अन्यायपूर्ण होगा कि वह अब सरकार को आक्षेपित निर्णय के अनुपालन में यू-टर्न लेने की अनुमति दे, और उन उम्मीदवारों को गैर-सूट करे जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से काम कर रहे हैं।

45. हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि इक्विटी उम्मीदवारों द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि ऐसे उम्मीदवार जो इस समय तक पर्याप्त रूप से दो साल से काम कर रहे हैं और अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर चुके हैं, किसी भी समय गलती नहीं थी, लेकिन क्योंकि आयोग द्वारा की गई व्याख्या उच्च न्यायालय को स्वीकार्य नहीं थी, वे शिकार बन गए और इसके अलावा, हमारा यह भी विचार है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन किया जा रहा है, केवल 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 का आयोजन इस कारण से किया गया है कि राज्य ने अब नियम, 2021 की योजना शुरू की है और 7 सिविल सेवा अधिनियम, 2016 के तहत नई प्रक्रिया शुरू की गई है। दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा जो देखा गया है वह दृष्टिकोण विज्ञापन की व्याख्या खंड के 12 और 13 के परिप्रेक्ष्य में एक हो सकता है तथापि, आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जिस पर विचार किया जा रहा है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता।

46. यह सर्वविदित है कि विराम चिह्न अपने आप में क़ानून के अर्थ को नियंत्रित नहीं करते हैं जब इसका अर्थ अन्यथा स्पष्ट होता है। साधारण नियम यह है कि विराम चिह्न में विराम चिह्न एक मामूली तत्व है। संविधि की व्याख्या, विशेष रूप से, जब यह अधीनस्थ का मामला है एक विधायन का। यदि हम नियम 1951 की योजना को देखें, तो हम स्पष्ट हैं कि नियम 16 के परंतुक को खंड (क) और (ख) और विशेष रूप से खंड (ख) के लिए नहीं जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में अदालत द्वारा देखा जा रहा है।

47. यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्णय में जॉय गुरिया और अन्य (ऊपर) उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रारंभिक परीक्षा और आक्षेपित के तहत डिवीज़न बेंच निर्णय की जांच करते समय उन टिप्पणियों से प्रभावित था। 6 वां संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा की योजना इसके विपरीत, यह करने के लिए था नियम 1951 की योजना के आधार पर स्वतंत्र रूप से व्याख्या की जाएगी विज्ञापन के खंड 12 और 13 के साथ।

48. नतीजतन, अपील सफल होने के योग्य है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय का 23 फरवरी,2022 तारीख का आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। कोई लागत नहीं।

49. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जायेगा।

स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या (एस)1100/2022

50. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमें स्थानांतरण याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है और वह तदनुसार खारिज कर दिया।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया।

अपील की अनुमति है।

<u>यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>